

सरकार की लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति का एक अध्ययन

Yogesh Krishna Pandey^{1*} Dr. Birendra Pratap²

¹ Research Scholar, Siddharth University Kapilvastu, Siddharth Nagar, UP, India

Email - yogeshkrishanpandey@gmail.com

² Research Guide, Rajkiya mahila College basti, Harraiya, UP, India

सारांश- लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक रूपों में सरकार की प्रकृति में राजनीतिक विचारधाराओं और संस्थागत ढाँचों का एक स्पेक्ट्रम शामिल है, जिसका उद्देश्य लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन करना है। लोकतंत्र बहुमत के शासन के सिद्धांत को प्राथमिकता देते हैं, जहाँ नागरिक सीधे या चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सत्ता का प्रयोग करते हैं। आवश्यक विशेषताओं में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और कानून का शासन शामिल है, यह सुनिश्चित करना कि सरकारी अधिकार शासितों की सहमति से प्राप्त हो। गणतंत्रवाद, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ओवरलैप करते हुए, शासन की एक संरचित प्रणाली पर जोर देता है जिसमें जाँच और संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण और अक्सर एक संविधान शामिल होता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और अत्याचार को रोकने के लिए सरकारी शक्ति को सीमित करता है। भारत की सरकार लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक सिद्धांतों के एक अनूठे मिश्रण की विशेषता है, जो इसके विविध सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है। यह अध्ययन इस बात की खोज करता है कि भारत के लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक तत्व इसकी राजनीतिक प्रणाली को आकार देने के लिए कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, न्यायसंगत शासन प्राप्त करने में सफलताओं और चल रही चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं।

खोजशब्द- सरकार, गणतंत्र, लोकतांत्रिक, भारत, राजनीतिक

-----X-----

प्रस्तावना

दुनिया भर के विभिन्न देशों में राजनीतिक व्यवस्थाएं, विचारधाराएं और शासन प्रणाली विभिन्न मामलों में भिन्न हैं। सरकार की एक ही प्रणाली सभी देशों में उनके राजनीतिक सिद्धांत, विचारधाराओं और उस देश में प्रचलित स्थितियों में अंतर के कारण अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती है। विभिन्न सरकार प्रणालियों में से, लोकतंत्र को सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप माना जाता है, लेकिन कुछ देशों में यह संतोषजनक रूप से काम नहीं कर पाया है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूक्रेन आदि ने स्पष्ट रूप से लोकतंत्र की निंदा की है। (डॉ. राखी कतरिअ 2023) कुछ देशों में, निर्वाचित सरकारों को सैन्य तख्तापलट द्वारा उखाड़ फेंका गया है और सैन्य शासक ने तानाशाही स्थापित की है। समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद आदि के प्रति निष्ठा रखने वाली विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं ने भी सरकार की प्रकृति को प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप, साम्यवादी विचारधारा वाले देशों में, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ने वास्तविक अर्थों में ज्यादा जमीन हासिल नहीं की है।

सरकार के स्वरूप

विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था विद्यमान है। इनमें से अभिजाततंत्र, राजतंत्र और तानाशाही पर नीचे संक्षेप में चर्चा की

गई है। इस अध्याय के अगले खंडों में लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक शासन प्रणाली पर चर्चा की गई है।

- **अभिजाततंत्र-** शब्द अभिजाततंत्र ग्रीक शब्दों 'एरिस्टोस' से लिया गया है जिसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ और 'क्रेटोस' जिसका अर्थ है शक्ति। इस प्रकार अभिजाततंत्र का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ द्वारा शासन। ग्रीक दार्शनिकों के अनुसार, यह सरकार का एक उत्कृष्ट रूप है। अरस्तू ने अभिजाततंत्र को समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा संचालित सरकार के रूप में परिभाषित किया। वास्तव में, यह सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कुछ लोगों द्वारा किया जाता है। (न्यूमैन, (1892)
- **राजतंत्र-** यह 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप था जिसमें सभी राजनीतिक अधिकार का स्रोत सर्वोच्च शासक यानी सम्राट से प्राप्त होता था। आम तौर पर राजतंत्र में राज्य का मुखिया वंशानुगत उत्तराधिकार के माध्यम से अपना पद प्राप्त करता था। सरकार में सम्राट का पद प्रमुख कारक था। ग्रेट ब्रिटेन, जापान, सऊदी अरब, जॉर्डन, भूटान, ब्रुनेई, ओमान, कतर आदि देशों में सरकार का यह स्वरूप अभी भी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान,

बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, मलेशिया, मोरक्को, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, बहरीन, स्वीडन आदि। हालांकि, अधिकांश राज्यों में राजशाही के साथ-साथ लोकतांत्रिक तत्वों वाली मिश्रित प्रकार की सरकारें मौजूद हैं।

- **तानाशाही-** तानाशाही सरकार का वह स्वरूप है जिसमें एक व्यक्ति सरकार पर पूरा नियंत्रण रखता है और पूर्ण संप्रभुता का आनंद लेता है। सारी राजनीतिक शक्ति उसकी इच्छा से निकलती है और कमोबेश मनमाने ढंग से प्रयोग की जाती है। आधुनिक समय में सैन्य तख्तापलट ने इंडोनेशिया, उत्तर कोरिया, क्यूबा, लीबिया आदि जैसे विभिन्न देशों में सैन्य तानाशाही स्थापित की है। हालांकि, जैसा कि पहले देखा गया है, तानाशाही के रूप में संदर्भित कई सरकारें लोकप्रिय संप्रभुता के तहत स्थापित की गई हैं।

सरकार का राजशाही, अभिजात वर्ग और तानाशाही में उपरोक्त पुराना वर्गीकरण आधुनिक युग में बहुत अधिक महत्व नहीं रखता है। वर्तमान में अधिकांश सरकारें मिश्रित प्रकार की हैं। इनमें राजशाही, कुलीनतंत्र और लोकतांत्रिक तत्व विभिन्न स्तरों पर शामिल हैं, जैसे कि अंग्रेजी संविधान सतह पर राजशाही लग सकता है, लेकिन यह मूल रूप से लोकतांत्रिक है, जिसमें अभिजाततंत्र की झलक साफ दिखाई देती है। आज विभिन्न प्रकार की लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जैसे कि संवैधानिक सम्राट के अधीन या कठोर या लचीले संविधान के अधीन। लेकिन दुनिया भर में अधिकांश सरकारें लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित हैं। (बोनफेल्ड (2006))

उपर्युक्त चर्चा से पता चलता है कि विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की सरकारें मौजूद हैं। हालांकि, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक सरकारें सबसे लोकप्रिय प्रकार की सरकार बन गई हैं।

लोकतंत्र और गणतंत्र: वैचारिक विश्लेषण

‘लोकतंत्र’ और ‘गणतंत्र’ के अर्थ और अवधारणा को समझना आवश्यक है।

• लोकतंत्र: अर्थ और अवधारणा

लोकतंत्र शब्द ग्रीक शब्द ‘डेमोस’ से लिया गया है, जिसका इस्तेमाल यूनानियों द्वारा अक्सर लोगों के बजाय कुछ लोगों से अलग कई लोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता था। आम बोलचाल में, इस शब्द का तात्पर्य समुदाय के बहुमत के शासन से है, जिसमें ‘वर्ग’ और ‘जनता’ शामिल हैं, क्योंकि यह निर्धारित करने का एकमात्र तरीका है कि किसी राजनीतिक निकाय की इच्छा क्या मानी जाती है, जो सर्वसम्मति से नहीं है। यह इच्छा प्रतिनिधियों के चुनाव के माध्यम से व्यक्त की जाती है। इस प्रकार लोकतंत्र का तात्पर्य है कि राज्य की सत्ता समग्र रूप से समुदाय में निहित है, जिसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।

अरस्तू ने लोकतंत्र को वर्गों के विपरीत गरीबों या जनसाधारण की सरकार के रूप में परिभाषित किया। हालांकि, मोहन लाल बनाम जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली (आर.एम. सहाय (1993)) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आज लोकतंत्र अरस्तू द्वारा कहे गए गरीबों या ‘वर्गों’ के विपरीत ‘जनता’ का शासन नहीं है, बल्कि व्यापक मताधिकार के आधार पर लोगों में से चुने गए बहुमत का शासन है।

एच.एम. प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ सीरवाई ने देखा है कि “लोकतांत्रिक” शब्द अपने आप में, या यहाँ तक कि “लोकतांत्रिक संविधान” वाक्यांश में भी, अस्पष्ट है, जैसा कि प्रो. फाइनर ने बताया है, “... कोई भी राजनीतिक शब्द ‘लोकतंत्र’ और ‘लोकतांत्रिक’ के रूप में विरोधाभासी परिभाषाओं के अधीन नहीं है, क्योंकि हर राज्य के लिए इस तरह से खुद को स्टाइल करना फैशनेबल और लाभदायक हो गया है। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी राज्य, चीनी पीपुल्स रिपब्लिक, उत्तरी कोरिया और उत्तरी वियतनाम सभी खुद को लोकतंत्र कहते हैं (थॉम्पसन (2003))। नासिर का मिस्र भी ऐसा ही कहता है; जनरल स्टोसेनर का पैराग्वे भी ऐसा ही कहता है; सुकर्णो का इंडोनेशिया भी ऐसा ही कहता है। फिर भी, अगर कुछ स्पष्ट है, तो वह यह है कि ये सभी राज्य लोकतंत्र की एक ही परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं।”

आर.सी. पौड्याल बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने शूमाकर से उधार लेते हुए कहा कि लोकतंत्र लोगों की सरकार को चुनने और उसे हटाने की क्षमता है (सिंह (2023))। उपर्युक्त विश्लेषण से यह बात सामने आती है कि लोकतंत्र का अर्थ है लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की सरकार।

लैटिन शब्द रेस पब्लिका या “सार्वजनिक चीज़” से लिया गया रिपब्लिक शब्द, सरकार के उस रूप को संदर्भित करता है जहाँ नागरिक अपने मामलों को शासक के लाभ के बजाय अपने स्वयं के लाभ के लिए संचालित करते हैं। ब्लैक लॉ डिक्शनरी 6वां संस्करण ‘गणतंत्रीय सरकार’ शब्द को लोगों की सरकार के रूप में परिभाषित करता है; लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा सरकार। हालांकि, परिभाषा गणतंत्रीय सरकार की अन्य विशेषताओं पर विस्तार से नहीं बताती है।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 7वां संस्करण, ‘गणतंत्र’ को सरकार की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें लोग संप्रभु शक्ति रखते हैं और प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उस शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह एक ओर शुद्ध लोकतंत्र के विपरीत है, जिसमें लोग या समुदाय एक संगठित पूरे के रूप में सरकार की संप्रभु शक्ति का उपयोग करते हैं, और दूसरी ओर एक व्यक्ति जैसे राजा, सम्राट, ज़ार या सुल्तान के शासन के साथ।

परिभाषा एक ओर लोकतंत्र के बीच अंतर प्रदान करती है, जो वास्तव में बहुमत द्वारा शासन है और दूसरी ओर राजा, ज़ार सुल्तान या सम्राट के शासन के साथ। इस प्रकार, परिभाषित गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का तात्पर्य सरकार की एक प्रणाली से है जो राज्य के प्रमुख के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधि प्रदान करने के अलावा, व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता देती है और संप्रभु लोगों के अविभाज्य अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। गणतंत्र का केंद्रीय अर्थ लोकप्रिय संप्रभुता, बहुमत के शासन और संविधान को बदलने या समाप्त करने के लोगों के अधिकार के इर्द-गिर्द घूमता है।

सरकार के गणतंत्रात्मक रूप में, राज्य का मुखिया लोगों द्वारा चुना जाता है। यह एक शुद्ध लोकतांत्रिक सरकार से इस मायने में अलग है कि जहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार का मतलब बहुमत द्वारा शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो सकता है, वहीं गणतंत्रात्मक रूप समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार सुनिश्चित करता है और अधिनायकवादी/बहुसंख्यक शासन के विपरीत है। लोकतंत्र की तरह गणतंत्रात्मक रूप में निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, लेकिन इसे भीड़ द्वारा

शासन नहीं माना जा सकता है। व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है और समाज के सभी वर्गों को समान दर्जा और भागीदारी देते हुए कानून का शासन कायम रहता है।

लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक शासन प्रणाली: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

कहा जाता है कि लोकतंत्र का आविष्कार यूनानियों ने किया था। प्राचीन ग्रीस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अस्तित्व में था और प्राचीन ग्रीस में नागरिक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की तुलना में अधिक शक्ति का प्रयोग करते थे। नागरिकों को हर प्रस्तावित कानून पर वोट देने का अधिकार था और यहां तक कि न्यायाधीशों की नियुक्ति भी नागरिकों में से ही की जाती थी। हालांकि, यह व्यवस्था एथेंस जैसे छोटे राज्यों या शहर के राज्यों तक ही सीमित थी, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित थी। (फिशकिन (2011))

ग्रीस के छोटे शहरों में मौजूद प्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े राज्यों के लिए सरकार का उपयुक्त रूप नहीं था और इस तरह जल्द ही प्रतिनिधि लोकतंत्र ने अपनी जगह बना ली। प्रतिनिधि लोकतंत्र का अर्थ है लोगों द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करना, जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग सीधे निर्णय लेने में भाग लेते हैं। इसने विभिन्न प्रतिनिधि संस्थाओं को जन्म दिया। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में, करों के संग्रह और अन्य प्रशासनिक उद्देश्यों में मदद करने के लिए राजशाही द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाएँ स्थापित की गईं, जबकि जर्मनी जैसे देशों में ये संस्थाएँ लोगों द्वारा सम्राट पर डाले गए दबाव के परिणामस्वरूप नीचे से ऊपर उठीं।

चुनावों के माध्यम से वर्तमान प्रतिनिधि लोकतंत्र की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि प्रतिनिधि संस्थाओं की उत्पत्ति जर्मनी और हॉलैंड में हुई थी, जबकि अन्य का तर्क है कि ये संस्थाएँ मध्य युग के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर सम्राट की मदद करने और सलाह देने के लिए अस्तित्व में आई थीं। 14वीं शताब्दी में इन संस्थाओं को विभिन्न देशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता था, जैसे इंग्लैंड में 'संसद' (एल्टन (1989)), फ्रांस में 'एस्टेट्स जनरल', स्पेन में 'कोर्टेस', रूस में 'ड्यूमा' और जापान में 'डाइट'। एच.जे. फोर्ड का मानना है कि ये संस्थाएँ उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में ही अस्तित्व में आई थीं। लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया का वास्तविक अर्थों में विकास वर्ष 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के आगमन के साथ शुरू हुआ। (मैकफी (2001))

भारत में गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार

प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली अज्ञात नहीं थी। वास्तव में, इस बात के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं कि वैदिक और उत्तर-वैदिक काल (सक्सेना (2018)) में प्राचीन भारत के विभिन्न भागों में स्वशासी प्रतिनिधि निकाय अस्तित्व में थे और भारत को दुनिया के कुछ सबसे प्राचीन गणराज्यों की नर्सरी बताया गया है। ऋग्वेद में सभा (जनता के सदन के समान सामान्य सभा) और समिति (उच्च सदन, बुजुर्गों का निकाय) का उल्लेख है। इन निकायों को प्रजापति की जुड़वां बेटियाँ कहा जाता था।

हालांकि, इन निकायों की भूमिका और संरचना के बारे में विद्वानों में मतभेद है। के.पी. जायसवाल के अनुसार, समिति आम लोगों की राष्ट्रीय सभा थी। कुछ अन्य लोगों का मत है कि समिति में न केवल आम लोग बल्कि ब्राह्मण और समृद्ध प्रतिरूप भी शामिल थे। समितियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में चाहे जो भी

विचार हों, उपलब्ध साहित्य से पता चलता है कि समिति एक शक्तिशाली निकाय थी और यह एक संप्रभु निकाय होने के नाते राजा का चुनाव करती थी।

विभिन्न विद्वानों द्वारा सभा को विभिन्न अर्थों में भी संदर्भित किया गया है। हालांकि, विद्वान इस बात पर एकमत हैं कि यह एक निर्वाचित निकाय था। इसके सदस्यों को सभासद और इसके अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था। इस प्रकार, वैदिक काल में प्रतिनिधि संस्थाएँ अस्तित्व में थीं और काफी अधिकार रखती थीं तथा राजा की शक्तियों पर स्वस्थ जाँच का काम करती थीं। (चौबे (2015))

वैदिक काल में कई गणराज्य विकसित हुए। ऋग्वेद में गणतंत्र के लिए तकनीकी शब्द 'गण' छियालीस स्थानों पर पाया जाता है। 'गण' शब्द का अर्थ है 'संख्या', और 'गणराज्य' का अर्थ है 'संख्याओं का शासन'। 'गण' का दूसरा अर्थ गणतंत्र या सीनेट हुआ और चूँकि गणतंत्र उनके द्वारा शासित होते थे, इसलिए 'गण' का अर्थ गणतंत्र ही हो गया। (माथुर 2004)

उत्तर वैदिक काल में भी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अस्तित्व के उदाहरण मिलते हैं। कई छोटे गणराज्यों में विधानसभाओं का उल्लेख मिलता है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि इन गणराज्यों (संघ और गणराज्य) में संप्रभुता विधानसभा में निहित थी जो कार्यकारी और सैन्य नेताओं का चुनाव करती थी और शांति और युद्ध से संबंधित विदेशी मामलों को भी नियंत्रित करती थी। बौद्ध काल में विभिन्न गणराज्यों का अस्तित्व नहीं माना जाता था, जैसे लिच्छवि, शाक्य, मोरीय, मोलास इत्यादि। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में पूर्व में विरजीक, लिच्छविका, मेलक तथा केंद्र में कुरु और पंचाल का उल्लेख किया है। (भट्टाचार्य 1965)

हालांकि, ये लोकतांत्रिक संस्थाएँ मध्यकाल में लुप्त हो गईं और परिणामस्वरूप मुगल काल में प्रतिनिधि सभाओं का विकास बाधित हुआ। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ग्राम सभाओं में गाँव स्तर पर ऐसी संस्थाएँ जारी रहीं।

ब्रिटिश काल के दौरान, भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 ने छोटे विधायी निकायों का प्रावधान किया, हालांकि इन निकायों में केवल मनोनीत सदस्य होते थे और स्थानीय लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था। भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ने मनोनयन के माध्यम से विधायी निकायों में स्थानीय प्रतिनिधित्व का एक छोटा तत्व प्रदान किया। 1909 के अधिनियम ने भारतीय प्रतिनिधियों के अप्रत्यक्ष चुनाव और नामांकन का प्रावधान किया। अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया। केंद्रीय विधान परिषद में 68 सदस्य होने थे, लेकिन इसमें 27 निर्वाचित सदस्य होने चाहिए थे। हालांकि, उन्हें नगर पालिकाओं, जिला और स्थानीय बोर्ड, वाणिज्य मंडल, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, भूमि धारकों आदि जैसे विशेष निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुना जाता था। अधिनियम ने मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कीं, जिन्हें केवल मुस्लिम मतदाताओं से मिलकर बने अलग निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुना जाना था। (खालिदी 1993)

1919 के अधिनियम में भारतीयों के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया था, लेकिन इसमें सांप्रदायिक चुनावी भूमिकाओं के आधार पर मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण की प्रथा जारी रही। इसके अलावा, इसमें सिखों के लिए भी सीटें आरक्षित की गईं। अधिनियम के तहत, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई और ब्रिटिश काल के दौरान पहली बार निर्वाचित सदस्य

प्रत्येक सदन में बहुमत में थे। हालांकि, चुनाव बिल्कुल भी प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि संपत्ति के स्वामित्व, भूमि जोत, आयकर और नगरपालिका कर आदि के भुगतान के आधार पर योग्यता प्रदान की गई थी, जिससे यह बहुत सीमित मताधिकार बन गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने पहली बार भारत के लिए एक संघीय ढांचे की परिकल्पना की। प्रस्तावित संघ में निर्वाचित प्रतिनिधि होने थे। हालांकि, रियासतों को प्रस्तावित संघ में शामिल होने या न होने का विकल्प दिया गया था। चूंकि, 1935 के अधिनियम के तहत प्रस्तावित संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, इसलिए अधिनियम के तहत चुनाव और प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था पर चर्चा करना उचित नहीं है। नतीजतन, 1919 के अधिनियम के तहत व्यवस्था कुछ संशोधनों के साथ जारी रही।

1946 में चुनावों द्वारा संविधान सभा के गठन ने नए संविधान के प्रारूपण का मार्ग प्रशस्त किया। 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने के अपने दृढ़ और गंभीर संकल्प के लिए एक खंड शामिल था। उक्त 'उद्देश्य प्रस्ताव' 22 जनवरी, 1947 को अपनाया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई, 1947 को पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने भारत को 15 अगस्त, 1947 से स्वतंत्र प्रभुत्व का दर्जा दिया। अधिनियम के तहत, भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत एक प्रभुत्व होना था और ब्रिटिश सरकार को भारत के प्रभुत्व के लिए गवर्नर जनरल नियुक्त करने की शक्ति बरकरार रखनी थी। पंजाब और बंगाल प्रांतों के विभाजन के कारण संविधान सभा में समायोजन और इन दोनों प्रांतों में चुनाव आवश्यक हो गए। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधान भारत के संविधान को अपनाने और लागू होने तक लागू रहे। परिणामस्वरूप, स्वतंत्रता के बाद भी इन दोनों राज्यों में सांप्रदायिक मतदाता सूची के आधार पर चुनाव हुए। 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाया गया, जिसमें प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। प्रस्तावना को 'हम भारत के लोग' के नाम से अपनाया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान का उद्देश्य न्याय - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; स्वतंत्रता - विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की और समानता - स्थिति और अवसर की सुरक्षा करना है। यह तर्क दिया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान को अपनाने के दिन ही लागू किया जाना चाहिए, लेकिन इस तर्क को खारिज कर दिया गया। एच.एम. सीरवाई ने सही कहा है कि यह स्पष्ट है कि भारत को गणराज्य घोषित करने वाली प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हो सकती थी, क्योंकि भारत 26 जनवरी 1950 तक एक डोमिनियन बना रहा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 394 में निर्धारित तिथि यानी 26 जनवरी 1950 को भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक डोमिनियन न रहकर एक स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और 'भारत के लोगों द्वारा स्वयं को दिए गए' अपने स्वयं के संविधान द्वारा शासित हुआ। 26 संविधान ने राज्य के प्रमुख के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति के साथ सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया है।

भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र को वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार देने वाले प्रावधानों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रावधान और विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जिम्मेदारी द्वारा दर्शाया गया है।

भारत के संविधान ने केंद्र के साथ-साथ राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की। संसद और राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव एक स्वतंत्र चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत वोट देने के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार बनाया गया है। वास्तविक लोकतांत्रिक राजनीति सुनिश्चित करने के लिए, संविधान के अध्याय XV के तहत एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 324 में घोषणा की गई है कि संविधान के तहत संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनका संचालन करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा। अनुच्छेद 325 में घोषणा की गई है कि संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य की विधानसभाओं के चुनाव के लिए प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होगी और कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर ऐसी किसी सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं होगा या किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा नहीं करेगा। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, जिसके अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति, जो अन्यथा अयोग्य नहीं है, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

प्रस्तावना, जिसे संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी के रूप में संदर्भित किया गया है (लॉज 1912), इस प्रकार बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि संविधान का उद्देश्य सभी नागरिकों को उनकी जाति, पंथ, धर्म, लिंग, नस्ल आदि के बावजूद समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान के भाग III में निहित प्रावधान न केवल सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हैं, बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी प्रदान करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, जो स्पष्ट रूप से संविधान निर्माताओं की भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की मंशा को सामने लाते हैं, जो न केवल लोकप्रिय संप्रभुता सुनिश्चित करता है, बल्कि अल्पसंख्यकों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने वाले बहुसंख्यकों द्वारा मनमाने शासन के खिलाफ सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।

भारतीय राजनीति की प्रकृति आर.सी. पौड्याल बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चर्चा के लिए आई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान निर्माता एक ऐसा लोकतंत्र चाहते थे जहां प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए और उन्होंने इस दृढ़ संकल्प के साथ संविधान बनाया। न्यायालय ने कहा कि 'लोकतंत्र' और 'गणतंत्र' शब्दों को इसी प्रकाश में समझा जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा, "..... 'लोकतंत्र' और 'लोकतांत्रिक' शब्दों का प्रयोग विभिन्न देशों में अलग-अलग अर्थों में किया गया है और कई स्थानों पर इनका प्रयोग ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए किया गया है जो उस अर्थ के पूर्णतः विपरीत है जिसमें इन्हें समझा जाता है। वर्तमान शताब्दी के दौरान इन शब्दों का बार-बार प्रयोग करना उत्तरोत्तर अधिक फैशनेबल और लाभदायक होता गया और तदनुसार इनका घोर दुरुपयोग किया गया। हमारे संविधान में इसका तात्पर्य अपने शाब्दिक अर्थ, यानी 'लोगों की शक्ति' को दर्शाने के लिए है यह उन परिस्थितियों को व्यक्त करता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को

राजनीति में समान भागीदारी के अधिकार का आश्वासन दिया जाता है। "

न्यायालय ने आगे सही टिप्पणी की कि

"जैसा कि प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है, संविधान द्वारा परिकल्पित लोकतंत्र की गुणवत्ता न केवल अवसर की समानता को सुरक्षित करती है, बल्कि सभी नागरिकों के लिए स्थिति की समानता भी सुनिश्चित करती है। यह समानता सिद्धांत संविधान के विभिन्न भागों में कई अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से सामने आया है, जिसमें भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग IV राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है और भाग XVI में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान हैं। यह भावना पूरे दस्तावेज़ में व्याप्त है जैसा कि अन्य प्रावधानों से भी देखा जा सकता है। जब राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता का प्रश्न उठता है, तो नागरिकों के सभी वर्गों को अनुच्छेद 58 और 59 (कुछ योग्यताओं के अधीन जो समान रूप से लागू होती हैं) द्वारा समान व्यवहार मिलता है और उपराष्ट्रपति और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के संबंध में भी यही स्थिति है।"

इस प्रकार भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है और संविधान के प्रारंभ से ही इसने कमोबेश संतोषजनक ढंग से काम किया है। सरकार को अपना स्रोत और शक्ति जनता से प्राप्त होती है और संविधान में संशोधन को जनता द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकप्रिय संप्रभुता की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है।

निष्कर्ष

सरकार के विभिन्न रूप हैं जैसे अभिजाततंत्र, तानाशाही, राजतंत्र और लोकतांत्रिक गणतंत्र सरकार। इनमें से लोकतांत्रिक सरकार सबसे लोकप्रिय सरकार बन गई है। वर्तमान में अधिकांश सरकारें मिश्रित प्रकार की हैं। इनमें विभिन्न डिग्री में राजतंत्रीय, कुलीन और लोकतांत्रिक तत्व शामिल हैं। यहां तक कि जिन मामलों में राजतंत्र या तानाशाही मौजूद है, उन्हें लोकप्रिय संप्रभुता के अधीन माना जाता है। लोकतंत्र को बहुमत द्वारा शासन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी लोगों की सरकार, लोगों द्वारा और लोगों के लिए। हालांकि, यह भीड़ द्वारा शासन नहीं है। लोग समय-समय पर चुनावों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करते हैं। प्राचीन ग्रीस में एथेस के छोटे शहर राज्य में सरकार के रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अस्तित्व में था। हालांकि, बड़े राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, हालांकि किसी विशेष मुद्दे पर जनमत संग्रह अभी भी प्रचलन में है। आधुनिक समय में लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ है लोगों द्वारा खुद के लिए चुनी गई सरकार जो न केवल लोकप्रिय सरकार की गारंटी देती है बल्कि यह भी गारंटी देती है कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य सरकारों में, भले ही सरकारें बहुमत से चुनी जाती हैं, फिर भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मौलिक कानून के तहत संरक्षित किया जाता है और बहुमत वाली सरकार से अधिनायकवादी शासन की अपेक्षा नहीं की जाती है। प्राचीन भारत में वैदिक और उत्तर वैदिक काल के दौरान सरकार का गणतंत्रात्मक स्वरूप अस्तित्व में था। हालांकि, मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान, सरकार का गणतंत्रात्मक स्वरूप बहुत प्रचलन में नहीं था। संविधान लागू होने पर यानी 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। गणतंत्र का दर्जा 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ था, न कि संविधान को अपनाने की तिथि पर, क्योंकि स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने भारत को नया संविधान लागू होने तक एक प्रभुत्वशाली राज्य का दर्जा दिया था।

सन्दर्भ

1. फिशकिन, जे. (2011). समान नागरिकता और वोट देने का व्यक्तिगत अधिकार. इंड. एल.जे., 86, 1289.
2. एल्टन, जी.आर., और एल्टन, जी.आर. (1989). इंग्लैंड की संसद, 1559-1581. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
3. मैकफी, पी. (2001). फ्रांसीसी क्रांति, 1789-1799. ओयूपी ऑक्सफोर्ड.
4. सक्सेना, जी.के., शर्मा, पी.के., और लॉ, पी.एस. (2018). वैदिक, उत्तर-वैदिक, ब्रिटिश और समकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लीगल डेवलपमेंट्स एंड एलाइड, (4), 4.
5. चौबे, के.एन. (2015). एक 'प्रगतिशील' कानून का सार्वजनिक जीवन: पेसा और गांव गणतंत्र (ग्राम गणराज्य). भारतीय राजनीति में अध्ययन, 3(2), 247-259.
6. माथुर, ए. (2004). 9. वैदिक राजनीति में गणतंत्रात्मक प्रवृत्ति। भारतीय इतिहास में परिप्रेक्ष्य, 105.
7. भट्टाचार्य, पी. के. (1965, जनवरी)। पूर्वी भारत-इसकी सीमाएँ। भारतीय इतिहास कांग्रेस की कार्यवाही में (खंड 27, पृष्ठ 74-77)। भारतीय इतिहास कांग्रेस।
8. लॉज, एच. सी. (1912)। संविधान और इसके निर्माता। उत्तरी अमेरिकी समीक्षा, 196(680), 20-51।
9. कटारिया, आर., और प्रजापति, एम. ए. भारत में लोकतंत्र को कमजोर करने वाली चिंताओं के उदय पर एक अध्ययन। जूनी ख्यात। आईएसएसएन: 2278-4632 (यूजीसी केयर ग्रुप। लिस्टेड जर्नल) खंड-13, अंक-06, संख्या 02, जून: 2023
10. न्यूमैन, डब्ल्यू.एल. (1892). अरस्तू द्वारा सरकार के रूपों का वर्गीकरण. द क्लासिकल रिव्यू, 6(7), 289-293.
11. बोनफेल्ड, डब्ल्यू. (2006). लोकतंत्र और तानाशाही: राज्य के साधन और उद्देश्य. आलोचना, 34(3), 237-252.
12. आर.एम. सहाय (1993). भारत का सर्वोच्च न्यायालय मोहन लाल त्रिपाठी बनाम जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली और ... 15 मई, 1992 को
13. थॉम्पसन, एम.आर. (2003). लोकतांत्रिक क्रांतियाँ: एशिया और पूर्वी यूरोप. रूटलेज.
14. सिंह, वी., और चड्ढा, वी. (2023) "राजनीतिक उद्देश्यों और संवैधानिक सिद्धांतों को संतुलित करने में न्यायिक विवेक: भारतीय संघवाद के संदर्भ में राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ जैसे उदाहरणों की जांच।"
15. खालिदी, ओ. (1993). भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में मुसलमान: समूह लक्ष्य और वैकल्पिक रणनीतियाँ. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 43-54.

Corresponding Author

Yogesh Krishna Pandey*

Research Scholar, Siddharth University Kapilvastu,
Siddharth Nagar, UP, India

Email - yogeshkrishanpandey@gmail.com